भारत सरकार

पर्यटन मंत्रालय

लोक सभा

लिखित प्रश्न सं. †1963

सोमवार, 19 दिसम्बर, 2022/28 अग्रहायण, 1944 (शक)

को दिया जाने वाला उत्तर

महामारी के बाद पर्यटन क्षेत्र को पुनर्जीवित किया जाना

†1963. श्रीमती प्रतिमा मण्डलः

क्या **पर्यटन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) सरकार द्वारा महामारी के बाद के दौर में पर्यटन क्षेत्र को पुनर्जीवित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(ख) विगत पांच वर्षों और वर्तमान वित्तीय वर्ष के दौरान पर्यटन क्षेत्र द्वारा कितना राजस्व सृजित किया गया है; और

(ग) पर्यटन उद्योग के लिए योजनाओं और कार्यक्रमों के तंत्र की समीक्षा करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

पर्यटन मंत्री (श्री जी. किशन रेड्डी)

(क): भारत सरकार ने कोविड काल के पश्चात् देश के पर्यटन क्षेत्र के पुनरुद्धार के लिए विभिन्न राहत उपाय घोषित किये हैं। जिनका विवरण **अनुबंध** में संलग्न है।

(ख): पर्यटन मंत्रालय, भारत सरकार पर्यटन क्षेत्र से सृजित राजस्व संबंधी आंकड़े नहीं रखता है। हालांकि, पिछले पांच वर्षों की विदेशी मुद्रा आय (एफईई) निम्नानुसार है:

(करोड़ रु में)

क्र. सं.	मानदंड	2017	2018	2019	2020	2021
1.	पर्यटन से विदेशी मुद्रा आय (एफईई)	177874	194881	211661	50136	65070

(ग): पर्यटन मंत्रालय ने पर्यटक और गंतव्य केंद्रित दृष्टिकोण को अपनाते हुए, देश में स्थायी और जिम्मेदार गंतव्यों को विकसित करने के उद्देश्य से स्वदेश दर्शन 2.0 (एसडी 2.0) के रूप में स्वदेश दर्शन योजना को नया रूप दिया है।

पर्यटन क्षेत्र के लिए अंतर-मंत्रालयी समन्वय समिति (आईएमसीसीटीएस) का गठन कैबिनेट सचिव की अध्यक्षता में पर्यटन के विकास और देश के भीतर पर्यटन स्थलों के लिए बेहतर कनेक्टिविटी से जुड़े अंतर-मंत्रालयी/विभागीय मुद्दों के समाधान की सुविधा के लिए किया गया है। विभिन्न मंत्रालय जैसे:

नागरिक उड्डयन मंत्रालय, विदेश मंत्रालय, गृह मंत्रालय, डोनर मंत्रालय, रेल मंत्रालय, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, संस्कृति मंत्रालय/एएसआई, आईआरसीटीसी आदि इसके सदस्य हैं।

इसके अतिरिक्त, पर्यटन मंत्रालय केंद्र, राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों और पर्यटन के विकास से जुड़े अन्य हितधारकों के बीच मुद्दों को हल करने के लिए नियमित अंतराल पर राज्य के पर्यटन मंत्रियों का राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित करता रहता है।

उपरोक्त के अलावा, पर्यटन मंत्रालय ने राष्ट्रीय पर्यटन नीति का मसौदा तैयार किया है। नीति के प्रमुख कार्यनीतिक उद्देश्य निम्नानुसार हैं:

(i) यात्रा, आवास और खर्च में वृद्धि करके और भारत को एक वर्षपर्यंत पर्यटन स्थल बनाकर भारतीय अर्थव्यवस्था में पर्यटन के योगदान को बढ़ाना,
(ii) पर्यटन क्षेत्र में नौकरियों और उद्यमशीलता के अवसरों का सृजन करना और कुशल कार्य बल की आपूर्ति सुनिश्चित करना,
(iii) पर्यटन क्षेत्र की प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाना और निजी क्षेत्र के निवेश को आकर्षित करना,
(iv) देश के सांस्कृतिक और प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण करना और उनको समृद्ध बनाना,
(v) देश में पर्यटन के सतत, जिम्मेदार और समावेशी विकास को सुनिश्चित करना।

*****

अनुबंध

महामारी के बाद पर्यटन क्षेत्र को पुनर्जीवित किया जाना के संबंध में दिनांक 19.12.2022 के लोक सभा के लिखित प्रश्न सं. †1963 के भाग (क) के उत्तर में **विवरण**

कोविड के पश्चात् देश के पर्यटन क्षेत्र के पुनरुद्धार के लिए सरकार द्वारा घोषित विभिन्न राहत उपाय निम्नानुसार हैं:

i. सरकार ने आत्मनिर्भर भारत पैकेज की घोषणा की जिसके माध्यम से सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) के लिए 3 लाख करोड़ रुपये का संपार्श्विक मुक्त स्वचालित ऋण उपलब्ध कराया गया है। ऋण की अवधि 4 साल की होगी और 12 महीने की ऋण-स्थगन अवधि होगी।
ii. आत्मनिर्भर भारत पैकेज के तहत, तीन महीने के लिए ईपीएफओ द्वारा कवर किए गए सभी प्रतिष्ठानों के लिए नियोक्ता और कर्मचारी दोनों के भविष्य निधि योगदान को प्रत्येक के लिए मौजूदा 12% से घटाकर 10% कर दिया गया है।
iii. पांच करोड़ रुपये तक की कंपनियों के लिए बिना किसी दंडात्मक ब्याज के रिटर्न फाइलिंग तीन महीने के लिए स्थगन, बाकी के लिए @9 प्रतिशत दंडात्मक ब्याज के साथ।
iv. सरकार ने 100 से कम कार्मिकों वाले और जिनके 90% कर्मचारियों की आय 15000 रुपये से कम वाले, संगठनों के लिए भविष्य निधि योगदान को तीन महीने के लिए माफ कर दिया।
v. अक्टूबर 2020 तक स्रोत पर एकत्रित कर (टीसीएस) का आस्थगन।
vi. केंद्र सरकार ने व्यापार निरंतरता और अस्तित्व सुनिश्चित करने के लिए कोविड-19 संकट को ध्यान में रखते हुए, अलग-अलग अवधि के लिए आयकर अधिनियम, कंपनी अधिनियम और जीएसटी अधिनियम के तहत विभिन्न नियामक अनुपालनों से राहत प्रदान की है।
vii. पात्र सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) और व्यावसायिक उद्यमों को उनकी परिचालन देनदारियों को पूरा करने और अपने व्यवसाय को फिर से शुरू करने में सहायता करने के लिए मई, 2020 में आत्मनिर्भर भारत अभियान के हिस्से के रूप में आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना (ईसीएलजीएस) 3.0 शुरू की गई थी। इस योजना के तहत पात्र अधारकर्ताओं को योजना के तहत उनके द्वारा दिए गए ऋणों के लिए ऋण देने वाली संस्थाओं को 100% क्रेडिट गारंटी दी जाती है। योजना के तहत स्वीकार्य गारंटी सीमा को 4.5 लाख करोड़ रुपये से बढ़ाकर 5 लाख करोड़ रुपये कर दिया गया है, जिसमें 50,000 करोड़ रुपये की अतिरिक्त गारंटी कवर नागरिक उड्डयन क्षेत्र सहित आतिथ्य और संबंधित उद्यमों के लिए विशेष रूप से निर्धारित है। नेशनल क्रेडिट गारंटी ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड (एनसीजीटीसी) से प्राप्त जानकारी के अनुसार, इस योजना को संचालित करने वाली एजेंसी ने ईसीएलजीएस के तहत यात्रा, पर्यटन, होटल, रेस्तरां आदि को 22015.82 करोड़ रुपये की कुल 203180 गारंटी जारी की है। जिसका विवरण निम्नानुसार है:

आतिथ्य और संबंधित उद्यम क्षेत्र के दिनांक 30.11.2022 तक के ईसीएलजीएस आंकड़े

ईसीएलजीएस - यात्रा और पर्यटन संबंधी आंकड़े		
योजना का प्रकार	जारी गारंटियों की संख्या	गारंटीड ऋण राशि (करोड़ रु में)
ईसीएलजीएस 3.0	2943	1935.80
ईसीएलजीएस 3.0 विस्तार	668	393.12
कुल	**3611**	**2328.94**
ईसीएलजीएस - होटल, रेस्तरां आदि संबंधी आंकड़े		
योजना का प्रकार	जारी गारंटियों की संख्या	गारंटीड ऋण राशि (करोड़ रु में)
ईसीएलजीएस 3.0	3486	6197.5
ईसीएलजीएस 3.0 विस्तार	1336	2468
ईसीएलजीएस 2.0	219	3437.11
ईसीएलजीएस 2.0 विस्तार	4	34.47
ईसीएलजीएस 1.0	96740	3674.72
ईसीएलजीएस 1.0 विस्तार	97784	3875.08
कुल	**199569**	**19686.88**
कुल योग	**203180**	**22015.82**

viii. 28 जून, 2021 को, सरकार ने कोविड-19 महामारी से प्रभावित अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों के संवर्धन और विकास तथा रोजगार के उपायों को गति प्रदान करने के लिए प्रोत्साहन पैकेज की घोषणा की। पैकेज में तीन व्यापक श्रेणियों में कुल 17 उपाय शामिल हैं, जिसमें 'महामारी से आर्थिक राहत, स्वास्थ्य और पुनर्जीवित यात्रा और पर्यटन क्षेत्रों पर विशेष ध्यान देने के साथ' और 'विकास और रोजगार के लिए प्रोत्साहन' शामिल हैं।

ix. पर्यटन मंत्रालय ने कोविड प्रभावित पर्यटन सेवा क्षेत्र के लिए ऋण गारंटी योजना (एलजीएससीएटीएसएस) की घोषणा की है जिसका उद्देश्य जिसका उद्देश्य संकटग्रस्त पर्यटन क्षेत्र को संपार्श्विक मुक्त ऋण देना है ताकि ताकि वे अपनी देनदारियों को चुका सकें और कोविड-19 के कारण प्रभावित अपने व्यवसायों को दोबारा शुरू कर सकें। इस ऋण गारंटी योजना के तहत, पर्यटन मंत्रालय द्वारा अनुमोदित/मान्यता प्राप्त प्रत्येक टूर ऑपरेटर/ट्रैवल एजेंट/पर्यटन परिवहन ऑपरेटरों को 1.00 लाख रुपए तक का संपार्श्विक मुक्त ऋण प्रदान किया जाएगा। पर्यटन मंत्रालय द्वारा अनुमोदित/राज्य सरकार/संघ शासित प्रदेश प्रशासन से अनुमोदित/मान्यता प्राप्त प्रत्येक क्षेत्रीय पर्यटक गाइड/अतुल्य भारत पर्यटक गाइड और पर्यटक गाइड को 1.00 लाख रु. तक का ऋण प्रदान किया जाएगा। यह योजना 18 अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के माध्यम से पहले ही प्रचालनरत है। उक्त योजना की वैधता एक और वर्ष अर्थात 31.03.2023 तक अथवा योजना के तहत 250.00 करोड़ रु. की गारंटी जारी होने तक बढ़ा दी गई है।

x. कोविड-19 के बाद के पुनुरूत्थान की तैयारी की दृष्टि से, मंत्रालय ने 08.06.2020 को होटल, रेस्तरां, बी एंड बी/होमस्टे और पर्यटन सेवा प्रदाताओं के लिए कोविड सुरक्षा और स्वच्छता के लिए विस्तृत परिचालन दिशानिर्देश तैयार किए और जारी कर दिए हैं ताकि व्यवसाय को फिर से सुचारू रूप से शुरू किया जा सके।

xi. होटल, रेस्तरां, बी एंड बी और अन्य इकाइयों के सुरक्षित संचालन के लिए कोविड -19 और उससे आगे के संदर्भ में जारी दिशानिर्देशों/एसओपी के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए ''साथी'' (आतिथ्य उद्योग के लिए आकलन, जागरूकता और प्रशिक्षण के लिए प्रणाली) नामक एक पहल विकसित की गई है।

xii. होटलों और अन्य आवास इकाइयों के अनुमोदन या प्रमाणन की वैधता, जिनकी परियोजना अनुमोदन/पुनः अनुमोदन और वर्गीकरण/पुनर्वर्गीकरण समाप्त हो गया है/समाप्त होने की संभावना है, को 31 मार्च 2022 तक बढ़ा दिया गया है।

xiii. पर्यटन उद्योग में हितधारकों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से, घरेलू पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए हितधारकों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए बाजार विकास सहायता योजना (एमडीए) के दिशा-निर्देशों को योजना के दायरे और पहुंच को बढ़ाने के लिए संशोधित किया गया है, ताकि हितधारकों को अधिकतम लाभ प्रदान किया जा सके। ऑनलाइन प्रचार सहित अतिरिक्त प्रचार गतिविधियों को शामिल किया गया है और अनुमेय वित्तीय सहायता की सीमा को बढ़ाया गया है। विदेश संवर्धन और प्रचार योजना के तहत विपणन विकास सहायता कार्यक्रम के दिशानिर्देशों को संशोधित किया गया है ताकि योजना के दायरे और पहुंच को बढ़ाया जा सके, ताकि पर्यटन उद्योग में हितधारकों को अधिकतम लाभ प्रदान किया जा सके।

xiv. देश में अंतर्गामी पर्यटन को फिर से शुरू करने और विदेशी पर्यटकों को आकर्षित करने के उद्देश्य से, भारत सरकार ने संभावित पर्यटन बाजारों से विदेशी पर्यटकों को पहले 5 लाख वीजा मुफ्त में दिए हैं। पहले 5 लाख पर्यटक वीजा (निःशुल्क वीजा) जारी करने के दौरान प्रति पर्यटक केवल एक बार नि:शुल्क वीजा का लाभ मिलेगा।

xv. कोविड-19 महामारी के कारण उत्पन्न स्थिति के परिणामस्वरूप पर्यटन मंत्रालय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के परामर्श से व्यवसाय की निर्बाध बहाली के लिए पर्यटन हितधारकों, होटलों और रेस्तरां को दिशानिर्देश/निर्देश जारी करता है।

xvi. गृह मंत्रालय ने 156 देशों के विदेशी नागरिकों के लिए दिनांक 15 मार्च, 2022 से ई-टूरिस्ट वीजा को बहाल किया है। इसके अलावा, दुनिया भर में बढ़ते हुए टीकाकरण के कवरेज को देखते हुए और हितधारकों के परामर्श से, भारत सरकार ने 27 मार्च, 2022 से भारत के लिए/से अनुसूचित वाणिज्यिक अंतरराष्ट्रीय यात्री सेवाओं को फिर से शुरू किया।

*****